प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, न्यायधीश</u>

<u>माननीय श्री सुनील कुमार सिंहा, न्यायधीश</u>

<u>दांडिक अपील क्र. 959/1993</u>

मोहनलाल एवं अन्य

विरुद्ध

म. प्र राज्य (अब छ.ग राज्य)

<u>निर्णय</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ के लिए

सही/-

सुनील कुमार सिंहा,

न्यायाधीश

माननीय श्री राजीव गुप्ता, न्यायधीश

मैं सहमत हूँ ।

सही/-

मुख्य न्यायधीश

निर्णय के लिए सूचीबद्ध दिनांक 16/11/2010

सही/-

सुनील कुमार सिंहा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, न्यायधीश

माननीय श्री सुनील कुमार सिंहा, न्यायधीश

दांडिक अपील क्र. 959/1993

अपीलकर्तागण	1. मोहनलाल, उम्र 25 वर्ष, पिता तिरिथराम चंद्रा 2. कौशल प्रसाद, उम्र 26 वर्ष, पिता ठाकुरराम चंद्रा 3. जनकराम, उम्र 30 वर्ष, पिता खिकराम चंद्रा सभी निवासी ग्राम टूसार, पुलिस थाना जयजयपुर, जिला बिलासपुर, म. प्र राज्य (अब छ.ग राज्य)
विरुद्ध	
प्रत्यर्थी	म. प्र राज्य (अब छ.ग राज्य) द्वारा पुलिस थाना जयजयपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील।

उपस्थित

अपीलकर्तागण के लिए : **श्रीमती रेनू कोचर एवं रवि भगत, अधिवक्तागण**

राज्य के लिए : **श्री जमील अख्तर लोहानी, पैनल अधिवक्ता**

निर्णय

(दिनांक 16/11/2010 को पारित)

सुनील कुमार सिंहा न्यायाधीश के अनुसार,

1. यह अपील बिलासपुर के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र प्रकरण क्र 45/91 में दिनांक 29 सितंबर, 1993 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. इस निर्णय के तहत, अपीलकर्तागण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया गया है और अजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया गया है। अपीलकर्तागण क्र 1 और 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत भी दोषसिद्ध किया गया है और छह महीने की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है, साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि उनकी सज़ाएँ एक साथ चलेंगी।

3. प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:- अपीलकर्ता, मृतक- बुचुआ और आहत- जोहान (अ.सा.-1) एक ही गाँव के रहने वाले थे। दिनांक 23.10.90 को लगभग सुबह 11.00 बजे, जोहान (अ.सा.-1) और अपीलकर्ता- कौशल प्रसाद के बीच झगड़ा हुआ, क्योंकि जोहान की एक बकरी खुबुराम की बाड़ी में घुस गई थी। उक्त झगड़े में, अपीलकर्तागण- कौशल और मोहन ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता- जोहान (अ.सा.-1) पर हाथों और मुक्कों से हमला किया। अभियोजन पक्ष का प्रकरण इस प्रकार है कि दोपहर लगभग 2.00 बजे जब मृतक और जोहान (अ.सा.-1) अपनी बकरियों को गाँव मछकुलिया की ओर ले जा रहे थे, तो अपीलकर्तागण ने उन पर लाठियों से हमला किया। बुचुआ (जो अब मृतक है) और जोहान (अ.सा.-1) दोनों को चोटें आईं। इस प्रकरण की सूचना उसी दिन शाम लगभग 4.30 बजे थाना में दी गई, जिस पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र. पी/1) दर्ज की गई। बुचुआ और जोहान (अ.सा.-1) को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। उनकी परीक्षण डॉक्टर वाई.के. सिंह (अ.सा.-10) ने की। बुचुआ को निम्नलिखित चोटें आईं –

   (i) सिर के बीच में 5 से. मी. x 1 से. मी. x हड्डी तक गहरा फटा हुआ घाव

   (ii) दाहिने कान के ऊपर 3 से. मी. x .5 से. मी. x हड्डी तक गहरा फटा हुआ घाव,

   (iii) बाईं आंख के पास 1 से. मी. x .5 से. मी. x 2 से. मी. का फटा हुआ घाव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iv) बाईं पलक काली पड़ गई थी।

चोट नंबर (i) और (ii) गंभीर चोटें लग रही थीं, अतः, एक्स-रे जांच की सलाह दी गई। उसकी चोट की रिपोर्ट प्र.-पी/1 1-अ है।

जोहान (अ.सा.-1) को निम्नलिखित चोटें लगी हैं:-

(i) पीठ पर 6 से. मी. x 3 से. मी. का नीला खरोंच

(ii) गर्दन के बाईं ओर 3 से. मी. x 1 से. मी. का नीला खरोंच

(iii) बाएं हाथ की अनामिका उंगली के आधार पर 1 से. मी. x 1 से. मी. का फटा हुआ घाव और

(iv) बाईं एड़ी पर 1 से. मी. x 1 से. मी. का फटा हुआ घाव।

उसकी चोट की रिपोर्ट प्र.-पी/16-अ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृतक बुचुआ को जिला हॉस्पिटल, बिलासपुर रेफर किया गया, जहाँ उसे दिनांक 25.10.90 को एडमिट किया गया। इलाज के दौरान दिनांक 5.11.90 को हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल प्राधिकारी ने उसकी मौत की सूचना संबंधित पुलिस थाना को प्र.-पी/12 के ज़रिए भेजी, जिस पर एक मर्ग सूचना प्र-पी/13 दर्ज की गई। डॉ. के.के. साव (अ.सा-14) ने मृतक बुचुआ के शव का शव विच्छेदन किया और पाया कि खोपड़ी पर चोट के नीचे खून के थक्के मौजूद थे। उन्होंने खोपड़ी के पिछले हिस्से में फ्रैक्चर भी देखा। फ्रैक्चर के नीचे ड्यूरा-मेम्ब्रेन पर भी खून के थक्के पाए गए। पोस्टमार्टम सर्जन ने राय दी कि सिर की चोट के कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट से मौत हुई। चोटें मौत से पहले की थीं। मौत हत्या थी।

अपीलकर्ता/आरोपी कौशल प्रसाद और मोहन को भी चोटें लगीं। उनकी भी डॉ. वाई.के. सिंह (अ.सा.-10) ने जाँच की, जिन्होंने अपीलकर्ता-कौशल के शरीर पर निम्नलिखित चोटें देखीं-

(i)खोपड़ी के दाहिने पिछले हिस्से पर 7 से.मी. x 1 से.मी. x 5 से.मी. का कटा हुआ घाव, खून के थक्के मौजूद हैं।

(ii) पैर के निचले हिस्से पर 1 से.मी. x 1 से.मी. का लाल खरोंच और

(iii) बाएं कंधे पर 1 से.मी. x 1 से.मी. का खरोंच।

कौशा प्रसाद की चोट रिपोर्ट प्र.-डी/3-सी है।

अपीलकर्ता/आरोपी मोहनलाल को निम्नलिखित चोटें लगी हैं:-

(i) बाएं कंधे पर 13 से. मी. x 1.5 से. मी. का नीला निशान;

(ii) बाएं पैराइटल हिस्से पर 6 से. मी. x 2 से. मी. x हड्डी तक गहरा फटा हुआ घाव, खून के थक्के मौजूद;

(iii) बाएं स्कैपुलर हिस्से पर 15 से. मी. x 2 से. मी. का नीला निशान;

(iv) बाएं स्कैपुलर हिस्से पर 13 से. मी. x 2 से. मी. का नीला निशान;

(v) पीठ के बीच में 10 से. मी. x 2 से. मी. का नीला निशान;

(vi) दाहिने स्कैपुलर हिस्से पर 10 से. मी. x 3 से. मी. का नीला निशान और

(vii) दाहिनी कोहनी के ऊपरी हिस्से पर 2 से. मी. x 1 से. मी. का नीला निशान।

उनकी चोट रिपोर्ट प्र.-डी/4-सी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता 1 और 2 आरोपीगण को लगी चोटें सामान्य चोटें थीं।

अभियोजन पक्ष का प्रकरण चसमुदर्शी साक्षियों जोहान (अ.सा.-1), कुमार रावत (अ.सा.-2) और पंचराम (अ.सा.-4) के बयानों पर आधारित था। पंचराम (अ.सा.-4) पक्ष द्रोही करार किया गया और उसने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया।

अपीलकर्तागण ने 2 चसमुदर्शी साक्षियों, अर्थात् जोहान (अ.सा.-1) और कुमार रावत (अ.सा.-2) द्वारा उनकी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देने के आधार पर दोषमुक्त किए जाने का दावा किया। सत्र न्यायाधीश ने तर्क दिया कि चोटें मामूली थीं और अगर गवाहों ने उनके बारे में नहीं बताया है, तो यह अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होगा। सत्र न्यायाधीश ने यह भी तर्क दिया कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्तागण को आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं था। अतः, सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्तागण को दोषसिद्ध ठहराया और जैसा कि ऊपर बताया गया है, सज़ा सुनाई।

4. अपीलकर्तागण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्रीमती रेनू कोचर ने तर्क प्रस्तुत किया है कि सत्र न्यायाधीश ने यह मानने में विधिक त्रुटि की है कि अपीलकर्तागण को लगी चोटों का स्पष्टीकरण न देना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि एक छोटी सी बात पर दोनों गुटों के बीच मारपीट हुई, जिसमें दोनों गुटों के लोगों को चोटें आईं और घटना के 13 दिन बाद मृतक की मौत हो गई, अतः अपीलकर्तागण को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषसिद्ध ठहराना सही नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि अगर पूरे अभियोजन पक्ष के प्रकरण को मान भी लिया जाए, तो भी अपीलकर्ता किसी हल्की धारा के तहत, खासकर धारा 304 आई पी सी के भाग-II के तहत सज़ा के हकदार होंगे। उन्होंने हरीश कुमार बनाम राज्य (दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन), ए आई आर 1993 एस सी 973 और बाबू लाल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए आई आर 1993 एस सी 1941 में दिए गए निर्णयों का अवलोकन किया।

5. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री जमील अख्तर लोहानी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. हमने दोनों पक्षकारो के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना और सत्र प्रकरण के अभिलेख भी देखे।

7. इसमें कोई विवाद नहीं है कि दोनों अपीलकर्तागण, अर्थात् कौशल प्रसाद और मोहनलाल को भी उसी घटना में चोटें लगीं। श्री के.आर. करसाल (अ.सा.-15 - जांच अधिकारी) ने पैरा-11 में बयान दिया कि दिनांक 23.10.90 को, अपीलकर्ता कौशल ने जोहान (अ.सा.-1), बुचुआ (मृतक) और फिरतू के विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 324/34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी प्र-डी/5 है। उनके सबूतों से पता चलता है कि उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण क्र. 1776/90 का एक आपराधिक मामला भी लंबित था। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि उक्त रिपोर्ट के बाद, अपीलकर्ता कौशल और मोहन को मांग प्र./पी-3 सी सी और पी-4 सी सी के माध्यम से मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया था, जो उन्होंने तैयार किए थे। उन्होंने साफ तौर पर यह माना कि आरोपी व्यक्तियों की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया काउंटर प्रकरण संबंधित न्यायालय में लंबित था। इससे पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने शिकायत करने वाली पक्ष के खिलाफ अलग से कार्रवाई की थी। माननीय सत्र न्यायाधीश ने इस पहलू पर गौर किया और माना कि आरोपी व्यक्तियों को लगी चोटें मामूली थीं और

अगर उन चोटों को 2 साक्ष्यों, अर्थात् जोहान (अ.सा.-1) और कुमार रावत (अ.सा.-2) ने नोटिस नहीं किया, तो यह अभियोजन पक्ष के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। हमने अ.सा.-1 और अ.सा.-2 के सबूतों पर विचार किया है और चोट की रिपोर्ट भी देखी है। अपीलकर्ता मोहन को लगी चोटें सिर्फ नीली थीं, और अपीलकर्ता कौशल प्रसाद को लगी चोट नंबर (i) को छोड़कर उनकी बाकी 2 चोटें भी खरोंच थीं। अतः, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, अगर अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने ऊपर बताई गई चोटों के बारे में नहीं बताया, तो इससे उनका सबूत पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं हो जाएगा।

8. जहां तक दूसरी तर्क का संबंध है, स्वीकृत रूप से यह घटना शिकायतकर्ता पक्ष की एक बकरी के आरोपी पक्ष के बाड़े में घुसने जैसे मामूली प्रकरण पर हुई थी। सबसे पहले, सुबह लगभग 11.00 बजे झगड़ा हुआ और उसके बाद दोपहर 2.00 बजे दूसरा झगड़ा हुआ। सुबह 11.00 बजे हुए पहले झगड़े के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। जहां तक दूसरे झगड़े का संबंध है, जोहान (अ.सा.-1) और कुमार रावत (अ.सा.-2) की गवाही से पता चलता है कि अपीलकर्तागण ने मृतक पर लाठी से हमला किया, और मृतक को उपरोक्त चोटें आईं और उसे दिनांक 23.10.90 को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां दिनांक 5.11.90 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अतः, मृतक की मौत तुरंत नहीं हुई थी और यह घटना के 13वें दिन हुई थी। आरोपी व्यक्तियों को भी उसी घटना में चोटें आई थीं, जिसके लिए एक अलग प्रकरण दर्ज किया गया था और धारा 324/34 आई पी सी के तहत चालान प्रस्तुत की गई थी। न तो डॉक्टर, जिसने दिनांक 23.10.90 को मृतक की जांच की थी, और न ही ऑटोप्सी सर्जन, जिसने पोस्टमार्टम किया था, ने यह राय दी थी कि मृतक को लगी चोटें सामान्य रूप से मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। हरीश कुमार (उपरोक्त) प्रकरण में, अपीलकर्ता को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था। यह साबित हो गया था कि अपीलकर्ता ने अकेले ही वह चोट पहुंचाई थी जिससे मौत हुई, लेकिन मृतक को चोट लगने के 2 दिन बाद उसकी मौत हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद और चोटों की प्रकृति के साथ-साथ चोट लगने से लेकर मौत तक के समय के अंतर को ध्यान में रखते हुए, जो चोट लगने के दो दिन बाद हुई थी, और यह भी कि उन दो दिनों के दौरान मृतक को दिए गए इलाज की प्रकृति के बारे में कोई पर्याप्त सबूत नहीं था, धारा 302 आई पी सी के तहत सजा को निरस्त कर दिया और अपीलकर्ता को धारा 304

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भाग-II आई पी सी के तहत दोषी ठहराया। बाबू लाल (उपरोक्त) प्रकरण में, तीन आरोपी व्यक्ति धारदार हथियारों से लैस होकर एक साथ आए और चोटें पहुंचाईं, जिसके परिणामस्वरूप खोपड़ी की हड्डी टूट गई। टिबिया में फ्रैक्चर, मेटाकार्पल हड्डी में फ्रैक्चर और कुछ अन्य चोटें भी लगीं। घटना के छह दिन बाद मृतक की मौत हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी व्यक्तियों का मौत का कारण बनने का सामान्य इरादा था। लेकिन यह माना जाना चाहिए कि ऐसी चोटें पहुँचाकर वे मृतक की मौत का कारण बन सकते थे, ऐसी स्थिति में अपराध केवल गैर इरादतन हत्या माना जाएगा, न कि हत्या। अतः, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 302/34 आई.पी.सी के तहत दोषसिद्धि को निरस्त कर दिया और अपीलकर्तागण को धारा 304 भाग-II/34 आई पी सी के तहत दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक को 5 साल कारावास की सजा सुनाई।

9. वर्तमान प्रकरण में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसी भी डॉक्टर ने यह बयान नहीं दिया कि मृतक को लगी चोटें सामान्य तौर पर उसकी मौत का कारण बनने के लिए काफी थीं। झगड़ा आरोपी पक्ष के बाड़े में बकरी के घुसने जैसी छोटी सी बात पर हुआ था। आरोपी व्यक्तियों ने मृतक और पीड़ित पर हमला करने के लिए लाठी का इस्तेमाल किया, और घटना के 13वें दिन अस्पताल में इलाज के दौरान मृतक की मौत हो गई। अतः, मृतक को चोटें पहुंचाने में अपीलकर्तागण की भागीदारी मानते हुए, यह नहीं माना जा सकता कि अपीलकर्तागण का इरादा मृतक की मौत का कारण बनने का था। यद्यपि, यह माना जाना चाहिए कि ऐसी चोटें पहुंचाकर वे मृतक की मौत का कारण बन सकते थे। अतः, हमारा मानना है कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता अपने उपरोक्त कृत्य के लिए आईपीसी की धारा 304 भाग-II/34 के तहत सजा के हकदार होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से मंज़ूर की जाती है। अपीलकर्तागण को आईपीसी की धारा 302 के तहत दी गई सज़ा और दोषसिद्धि आपस्त की जाती है। इसके बदले में, तीनों अपीलकर्तागण को आईपीसी की धारा 304 भाग-II/34 के तहत सिद्धदोष ठहराया जाता है और उन्हें उस अवधि की सज़ा दी जाती है जो वे पहले ही इस प्रकरण में भुगत चुके हैं, जो इस प्रकरण में 4 साल से ज़्यादा है। अपीलकर्ता 1 और 2 को आई.पी.सी की धारा 323 के तहत दी गई सज़ा और दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है। उनकी सज़ाओं को एक साथ चलाने का निर्देश भी बरकरार रखा जाता है। यह बताया गया है कि

अपीलकर्ता ज़मानत पर हैं। उनकी ज़मानत बंध पत्र निरस्त की जाती है और ज़मानतदार उन्मोचित किए जाते हैं।

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

न्यायाधीश

सही/-

सुनील कुमार सिंहा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By SONIA KULDEEP

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur